

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक प.4(23)वित्त/राजस्व/1994

जयपुर दिनांक

17 FEB 2017

--आज्ञा--

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा के निम्नांकित अधिकारियों के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पद	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्रीमती लक्ष्मी मलिक	08.04.1957	30.04.2017
2	श्री नन्द नन्दन शर्मा	28.05.1957	31.05.2017
3	श्रीमती ममता सिंह	08.06.1957	30.06.2017
4	श्री रूप नारायण मीणा	01.07.1957	30.06.2017
5	श्री अमर पाल मीणा	25.07.1957	31.07.2017
6	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	25.07.1957	31.07.2017
7	श्री विशन सिंह राजपुरोहित	27.09.1957	30.09.2017
8	श्री अब्दुल रज्जाक	24.12.1957	31.12.2017
9	श्री नरेन्द्र कुमार तनेजा	01.01.1958	31.12.2017
10	श्री सीता राम मीणा	05.02.1958	28.02.2018
11	श्री दिनेश दत्त शर्मा	20.03.1958	31.03.2018

प्रमाणित किया जाता है कि कम संख्या 4 पर अंकित श्री रूप नारायण मीणा, सहायक निदेशक के विरुद्ध वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत विभागीय जांच की कार्यवाही विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उक्त नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,  
17/02/17  
(वेद प्रकाश गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ.1(1)123/पार्ट-4/संस्था/बीमा/2017/14921 दिनांक 17.01.2017 के क्रम में।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ)
5. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली।

17/02/17  
संयुक्त शासन सचिव